Indian J. Soc. & Pol. 07 (02) :101-106 : 2020 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 July 2020 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

गुजरात के कच्छ जिला के पर्यटन क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले मादक पेय, धुम्रपान एवं तंबाकू का अध्ययन

आरसी प्रसाद झा[1]
[1]अनुसंधान सहयोगी, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, प्रताप नगर, उदयपुर, राजस्थान, भारत

ABSTRACT

वर्तमान अध्ययन का उद्येश्य पर्यटन स्थल में नशा/मादक पेय, तंबाकू एवं धुम्रपान का तुलनात्मक अध्ययन करना है। वर्तमान अध्ययन के लिए गुजरात राज्य के कच्छ जिला के ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में अवस्थित कोटेश्वर व नारायण सरोवर व शहरी क्षेत्र में कच्छ संग्रहालय व स्वामीनारायण मंदिर का अध्ययन किया गया। आंकड़े 30 व्यक्तियों से सहभागी अवलोकन, अर्द्ध–सहभागी अवलोकन, संरचित साक्षात्कार, खुला साक्षात्कार व व्यक्तिवृत अध्ययन विधि से लिए गए। वर्तमान शोध कार्य गुणनात्मक रहा। अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि शहरी क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीरी, जर्दा/तंबाकू/पत्ति वाली पान, कॉफी, शराब व ई सिगरेट का प्रचलन है। शहर में नशा–व्यसन की कई प्रकार मिलते हैं। होटल संचालक भी इन्हें नशा–व्यसन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अतः पर्यटक अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू व सिगरेट का प्रचलन है। यहां नशा–व्यसन के सीमित प्रकार उपलब्ध हैं व पर्यटक को भी उन्हीं सीमित नशा में से ही किसी का चुनाव करना होता है। सामान्य पर्यटक स्थल पर उदार होकर जाते हैं व वहां की उपलब्ध नषा को स्वीकार कर लेते हैं। धार्मिक रूप से व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण करने के उद्येश्य से जाता है तो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है। जबकि वही व्यक्ति यदि उस स्थान विशेश पर गैर–धार्मिक कार्य या व्यक्तिगत कार्य या अकेले जाता है तो स्थानीय नशा का प्रयोग कर आनंद पाता है। शहरी क्षेत्रों के होटलों में मनोवांछित नशा–दुर्व्यसन सामग्री आसानी से मिल जाते हैं। जबकि ग्रामीण पर्यटन स्थल में पर्यटक के अनुरोध पर भी होटल में मादक पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में पर्यटक को सड़क किनारे अवस्थित दुकानों में उपलब्ध सीमित नशा (मादक) सामग्री से ही संतुष्ट होना पड़ता है।

KEYWORDS: *तंबाकू, पर्यटन, मावा, सिगरेट, धर्म*

प्रस्तावना

किसी वस्तु के प्रति स्वयं को आदतन अथवा बाध्यता के कारण समर्पित कर देना या व्यक्ति का किसी मादक द्रव्य पर दैहिक रूप से आश्रित हो जाने की प्रक्रिया को व्यसन कहा जाता है (मरियम वेबस्टर्स, 1974)। आनंद (2003) ने बताया है कि समाज के अधिकतर लोग अल्कोहल के दुष्प्रभावों की अवहेलना करके मद्यपान करते हैं। लोगों द्वारा दुःखी होने पर, असफलता मिलने पर, स्वक्षमता व उपयुक्तता दिखाने व सिद्ध करने की चाह, आनंदानुभूति की चाह, कार्य व भोजन के समय सामूहिक रूप से लेने की आदत होने के कारण, कठोर परिश्रम से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए, विशेश कार्य (भाषण, जोखिम के कार्य, कठिन और खतरनाक कार्य, आदि) करने के लिए स्फूर्ति लाने व नर्वसनेस से बचने के लिए, मित्र–मंडली, सामाजिक समूह, समारोह व परिस्थिति की बाध्यता, आदि के कारण मद्यपान किया जाता है।

वर्तमान में ई (इलेक्ट्रोनिक) सिगरेट धुम्रपान के रूप में उभर कर आया है जो कि देखने में साधारण सिगरेट जैसा दिखता है। ई सिगरेट आकर्षक रूपों तथा विविध सुगंधों से युक्त होते हैं। ई सिगरेट युवाओं तथा बच्चों में तेजी से बढ रहा है। एक अध्ययन (पाण्डेय, 2019) में उल्लेख किया गया है कि अमरीका में 77.8 प्रतिशत की दर से स्कूलों छात्रों में इसकी लत बढ रही है व संपूर्ण विश्व में ई–सिगरेट का बाजार वर्तमान में रू. 89.6 हजार करोड़ का है। ई सिगरेट बैटरीयुक्त उपकरण है जो निकोटिन वाले घोल को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है। इसमें एक बैटरी तथा एक कॉटेज होती है। कॉटेज में निकोटिन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है। यह तरह पदार्थ बैट्री की सहायता से गर्म होकर निकोटिनयुक्त भाप देता है। तंबाकू व साधारण सिगरेट के मुकाबले इसके नियमित उपयोग व अधिक उपयोग से कैंसर व गुर्दे खराब होने की आशंका अधिक रहती है। अतः इस गंभीर दुष्परिणाम को देखते हुए 16 सितंबर 2019 को भारतीय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश–2019 बनाया है जिसमें इसके व्यापार, भंडारण, प्रयोग व अन्य संबंधित गतिविधि को अपराध घोषित किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस खतरनाक धुम्रपान को प्रतिबंधित करने के लिए गंभीरता से लिया है (पाण्डेय, 2019)।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर भारी मात्र में मादक पदार्थ पूरे देश व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजे जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का यदि आंकलन करें तो पंजाब में साल 2013 के दौरान 14654 मादक पदार्थों की तस्करी से सम्बंधित एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत मामले पंजीकृत हुए जिनमें से 80.50 प्रतिशत मामलों में न्यायलय ने सजा सुनाई। हरियाणा में 1129 मामले दर्ज़ हुए जिनमें 58.40 प्रतिशत मामलों में सजा सुनाई गयी तथा राजस्थान में 943 मामले

1: Corresponding Author

पंजीकृत हुए जिनमें से 66.90 प्रतिशत मामलों में मुल्जिमों को सजा सुनाई गयी। हिमाचल प्रदेश में साल 2013 के दौरान 531 मामले दर्ज़ किये गये थे जिनमें से केवल 25.60 प्रतिशत मामलों में सजा हो पायी है।

जैसलमेर (राजस्थान) में कई पर्यटक आते हैं व यहां पर पर्यटक चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, हिरोइन, आदि मादक पदार्थ उपयोग में लेते हैं। इन पदार्थों की खरीद–फरोख्त गडेसर तालाब, बड़ाबाग व जैसलमेर शहर के गली–कुंचों में स्थित छोटे–छोटे गेस्ट हाउस व होटलों में कई विदेशी महीनों तक टिके रहते हैं। पूरे गोवा राज्य विशेशकर पणजी पर्यटन के लिए विख्यात रहा है। पर्यटक जब गोवा आते हैं तब उनमें से कुछ मादक पदार्थ अपने साथ ले आते हैं और कुछ यहां पर यादगारी व मनोरंजन के लाभ पर मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू–मनाली, शिमला, आदि स्थलों में भी पर्यटकों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढा है। कुल्लू जिला में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हो रहे मामलों में दस प्रतिशत बढा है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानक अफीम, चरस और अन्य नशीली पदार्थ तय कर रहे हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश में मायाकुंड, चंद्रेश्वरनगर, कुम्हारबाड़ा, बाल्मीकि बस्ती, जाटव बस्ती, नाव घाट, रामानंद घाट, त्रिवेणी घाट, शमशान घाट, आदि जगहों पर शराब, सुल्फा, गांजा, अफीम, हीरोइन आदि का व्यापार किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि पर्यटन स्थलों पर नषा–व्यसन सामग्री आसानी से मिल जाते हैं।

झा (2019) ने गुजरात के ग्रामीण धार्मिक स्थल (नागारची पीर दरगाह) को पर्यटन स्थल के रूप में अध्ययन किया और बताया कि इस परिसर में पूजन सामग्री नाश्ता, शरबत, इत्र, अगरबत्ती, खाख, हरा रंग के धागा में आधे फीट की पट्टी, नारियल, गुलाब जल, खाख, लोबान (इबादत के सामग्री), नाश्ता दुकान, फल दुकान, आदि मिलते हैं। लगभग दस दुकानदार यहॉ पर दुकान स्थायी व अस्थायी रूप से चला रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण पर्यटन स्थल (तीर्थ स्थल) स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जाटावत एवं लवानिया (2018) ने राजस्थान के तीर्थस्थल 'पुष्कर' पर पर्यटक के प्रभावों का अध्ययन किया और पाया कि हिंदू तीर्थ स्थल पर पर्यटक के आने से, संपर्क एवं विस्तार से स्थानीय स्तर के निवासियों में सामाजिक परिवर्तन आया है। शिवाणी (2013) ने बताया है कि आर्थिक विकास और रोजगार के साधन के रूप में पर्यटन का महत्व है। आज पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता और रोजगार के रूप में उभरा है। अब पर्यटन को दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में भी मान्यता मिलने लगी है।

अतः वर्तमान अध्ययन का उद्येश्य कच्छ जिला के ग्रामीण व शहर के पर्यटन स्थल में नशा /मादक पेय, तंबाकू एवं धुम्रपान का अध्ययन करना है।

शोध विधि

वर्तमान अध्ययन के लिए अध्ययन स्थल के रूप में गुजरात राज्य के कच्छ जिला के ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र के अध्ययन के लिए कोटेश्वर व नारायण सरोवर/वन्यजीव अभ्यारण्य व शहरी पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वामी नारायण मंदिर व कच्छ संग्रहालय का चयन किया गया। इन पर्यटन स्थल के स्थानीय निवासी, पर्यटक, होटल कर्मचारी व दुकानदार इस अध्ययन के प्रतिदर्श रहे हैं व इनकी कुल संख्या 30 थी। अध्ययन के आंकड़ों के स्रोत के रूप में सहभागी अवलोकन, अर्द्ध–सहभागी अवलोकन, संरचित साक्षात्कार, खुला साक्षात्कार व व्यक्तिवृत अध्ययन (केस स्टडी) विधि रहा। वर्तमान शोध कार्य पूर्ण रूप से गुणनात्मक रहा।

आंकड़ों का विश्लेशण एवं विवेचन

कच्छ जिला की कुल जनसंख्या 2092371 है जो कि गुजरात की कुल जनसंख्या–60439692 में 3.46 प्रतिशत कच्छ जिला में रहते हैं। कच्छ जिला में 877 गांव व 14 शहर हैं। (भारत की जगणना, 2011)। कच्छ जिला में अवस्थित पर्यटन स्थल ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में हैं। कच्छ जिला के धोलावीरा/सिंधु घाटी (बचाउ तालुका में अवस्थित), कोटेश्वर मंदिर व अंतरराष्ट्रीय सीमा (लाखपत तालुका में अवस्थित), जेसल तोरल का मकबरा (अंजार तालुका में अवस्थित), नारायण सरोवर (लाखपत तालुका में अवस्थित), नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य (लाखपत तालुका में अवस्थित), माता नो माध मंदिर (लाखपत तालुका में अवस्थित), ऐना महल (भुज तालुका में अवस्थित), मंजल गांव में प्यूनमोगध स्मारक (नखतराणा तालुका में अवस्थित), बन्नी, विजय विलास पैलेस, स्वामी नारायण मंदिर, रामकुंड कुंआ, शरदबाग पैलेस, खावड़ा गांव में ब्लेक हिल, कच्छ संग्रहालय, भुजोडी, मांडवी बीच/समुद्र तट (मांडवी तालुका में अवस्थित), डिजर्ट सेंचुरी/लिट्ल रण ऑफ कच्छ, मुंद्रा पोर्ट/बंदरगाह (मुंद्रा तालुका में अवस्थित) व भद्रेश्वर जैन मंदिर (मुंद्रा तालुका में अवस्थित) हैं (भारत की जनगणना, 2011, कच्छ जिला, भाग–अ पृ.116–123)। कच्छ संग्रहालय, शरद बाग पैलेस, रामकुंड कुंआ, स्वामीनारायण मंदिर, विजय विलास पैलेस व ऐना महल भुज शहर में अवस्थित है। इसी प्रकार, मुंद्रा पोर्ट/बंदरगाह, जेसल तोरल का मकबरा शहर में हैं। भद्रेश्वर जैन मंदिर, डिजर्ट सेंचुरी/लिट्ल रण ऑफ कच्छ (मुंद्रा), मांडवी बीच/समुद्र तट, भुजोडी, खावड़ा गांव के ब्लेक हिल, बन्नी क्षेत्र, मंजल गांव के प्यूनमोगध स्मारक (नखतराणा तालुका में अवस्थित), माता नो माध मंदिर (लाखपत तालुका में अवस्थित), नारायण सरोवर (लाखपत तालुका में अवस्थित), कोटेश्वर मंदिर व अंतरराष्ट्रीय सीमा (लाखपत तालुका में अवस्थित), सिंधु घाटी (बचाउ तालुका का धोलावीरा क्षेत्र) व नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य (लाखपत तालुका में अवस्थित) गांव में हैं। पिछले दशक से धोलावीरा अब पर्यटकों के आकर्षण व जिज्ञासा का केन्द्र बिन्दु बन गया है व यहां आनेवाले पर्यटकों की संख्या दिनों–दिन बढ रही है। कच्छ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष कच्छ महोत्सव आयोजित किया जाता है। गौतम (2013ब) ने बताया है कि कच्छ में अंजार, कांडला–गांधीधाम, नारायण सरोवर कोटेश्वर, मतानो माधा–आशापुरा, लाखपत, काला डुंगर, मांडवी, मुंद्रा, अबडासा : जैन मंदिर एवं भद्रेश्वर व धोरोदो–होडको विरासत गांव पर्यटक के लिए उपयुक्त स्थल हैं। गौतम (2013अ) ने अपने आलेख में बताया है कि कच्छ आकर्षित करने वाला पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है। कच्छ की खूबसूरती को कुछ फिल्मों, जैसे– बॉर्डर, दिल दे चुके सनम, लगान, आदि में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, कच्छ

के तीर्थ स्थान, जैसे– माता नहीं मध, हाजीपीर, लखपत का मंदिर, आदि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बन रहा है। लेकिन, यहां पर पर्यटकों को आवास और भोजन आदि के लिए ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि कच्छ में आतिथ्य प्रबंधन सेवा आवश्यक गति से विकसित नहीं हुआ है। वर्तमान में कच्छ पर्यटन और औद्योगिकीकरण में उत्तरोत्तर प्रगति की है।

स्वामी नारायण मंदिर

स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामीनारायण द्वारा कराया गया था। भगवान श्री स्वामीनारायण 1860 ई. में कच्छ का दौरा किया। उन्होंने गुजरात में अपने कुल जीवन काल के 30 साल बिताए और 20 बार कच्छ का दौरा किया। 1822 ई. में वैष्णवानंद स्वामी और उनके साथ आए संतों ने भुज जाकर मूल भुज मंदिर की योजना बनाई और एक वर्ष की छोटी अवधि के भीतर ही 15 मई 1823 ई.को भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। नया मंदिर पुराने मंदिर के बहुत करीब है, और इसमें स्वामीनारायण सहित कई मूर्तियां है। इस मंदिर का पुननिर्माण संगमरमर और सोने से किया गया। वर्ष 2001 में भूकम्प के बाद इसे पुननिर्माण किया गया। मंदिर परिसर 5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। श्रद्धालु मंडप में बैठकर कीर्तन आदि भी सुनते हैं। इसी मंदिर के समीप वेदी और असेंबली हॉल हैं। 1,000 महिला श्रद्धालुओं को बैठने और प्रार्थना करने की सुविधा है। मण्डप में लोगों को आराम से बैठने और धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए प्रयाप्त स्थान है। श्री नारनारायण देव कोठार, मुख्य कार्यालय, संत नी वास, ध्यान करने का स्थान, षास्त्र पठन और भजन स्थल, विश्रांति भुवन, आदि सुविधा इस परिसर में है। 200 से अधिक संतों और भगतों के लिए निवास/विश्रांति भवन, 4 पारिवारिक कमरे, 24 डबल बेडरूम, 18 ट्रिपलब बेडरूम, 1 महिला सामान्य हॉल, 1 पुरुष सामान्य हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 भोजन हाल, आदि यहां उपलब्ध हैं। 300 वीआईपी और 2000 सामान्य लोगों को एक साथ बैठने की क्षमता भी यहां पर है। दिसंबर 2019 में बहुत बड़ी धार्मिक कार्यक्रम भुज में की गई थी जो कि मुख्य मंदिर के पीछे हुई थी। इस कार्यक्रम में लगभग 50 हजार लोग आए थे जिसमें बाहर से आए हुए भी लोग सम्मिलित थे। इन लोगों का रहने व खाने आदि की व्यवस्था मंदिर की ओर से किए गए थे।

स्वामी नारायण मंदिर में सामान्य दिनों में सुवह मंगला आरती में लगभग 100–150 दर्शनार्थी प्रतिदिन आते हैं। जबकि प्रतिदिन शाम में 4.30–7.00 बजे तक आनेवाले लोगों की संख्या लगभग 300 होते हैं। सामान्य दिनों में स्थानीय ग्रामवासी अधिक आते हैं। जबकि अगल–बगल सहित दूर के दर्शनार्थी एकादशी, पूर्णिमा व अन्य उत्सव में आते हैं। विशेश समय में दर्शनार्थियों की संख्या 500–2000 होते हैं। मंदिर में दिन व रात्रि का खाना (प्रसाद) खाने हेतु पहले से कूपन लेना होता है जो कि निःशुल्क होता है। जबकि रहने की व्यवस्था सशुल्क होता है। स्थानीय लोग न तो यहां रूकते हैं और न ही प्रसाद लेते हैं जबकि बाहर के लोग यहां अतिथिशाला में रहते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अधिकांशतः भक्त (लगभग 95 प्रतिशत) ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं व ये सभी दर्शनार्थी स्वामी नारायण संप्रदाय के दीक्षित भक्त होते हैं। ये सभी दर्शनार्थी स्वामी नारायण सम्प्रदाय के नियम के पक्के माननेवाले होते हैं। इनके नियम निर्धारण व अनुपालन शिक्षापत्री व वचनामृत के अनुसार होती है। स्वामी नारायण सम्प्रदाय की आचारसंहिता की मूल पुस्तक 'शिक्षापत्री' (2017) में उल्लेख है कि मद्य व शराब न पीयें (श्लोक सं.–15), व्यसनों का त्याग करें, भांग आदि मादक या नशा करनेवाली चीजों को न खायें और न पीयें (श्लोक सं.–18), जिस देवता को मदिरा का नैवेद्य लगता हो, उस नैवद्य को न खायें (श्लोक सं.–22) व व्यसनी से संगत न करें (श्लोक सं.–27)। शिक्षापत्री (2017, पृ.104–105) में यह भी उल्लेख है कि भगवान स्वामी नारायण ने व्यसनी को व्यसन का त्याग कराया और ये लोग व्यसन को छोड़कर सुख–शांति का अनुभव करने लगे। भगवान स्वामी नारायण ने कहा है कि जो लोग गांजा, चरस, तम्बाकू में धन व्यय करते हैं यदि उन्हें सत्संगी बना दिया जाए तो ये लोग धन व्यय से बच सकते हैं।

अतः स्पष्ट है कि नशा व मादक पदार्थों से दूर रहते हैं और ऐसे प्रयोग करने करने वालों से ये दोस्ती भी नहीं करते हैं। ये चाय, कॉफी, पान व पानी भी बाहर का नहीं लेते हैं। इनके घर में भी चाय, कॉफी, आदि नहीं बनते हैं। मंदिर के बाहर 50 मीटर की दूरी पर 3 दुकान (कलेक्टिरिएट/जुबेली ग्राउंड व संग्रहालय की तरफ) हैं जो कि यहां चाय, गुटखा, मावा, आदि मिलते हैं। स्वामी नारायण के भक्त किसी दुकान में आकर नशा नहीं करते हैं। जबकि, मुख्य सड़क पर होने के कारण अन्य लोग गुटखा, पान, तंबाकू, आदि खरीदते हैं। शेख (2019) के परिणाम इंगित करते हैं कि गुजरात में शराब निषेध कानून बनने से व शराब बंद होने से शराब उपयोगकर्ताओं द्वारा शराब पर कम उपयोग, महिलाओं के खिलाफ अपराध की कम दर व शराब उपयोगकर्ताओं में गिरावट आया है।

कच्छ संग्रहालय

गुजरात के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक हमीरसार झील के पास कच्छ संग्रहालय स्थित है। कच्छ संग्रहालय को शुरू में कच्छ राज्य के महाराव, खेंगरजी तृतीय द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक भाग के रूप में बनाया गया था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1877 ई. को हुई थी। यह संग्रहालय वर्ष 2010 में ऑनलाइन हुआ। संग्रहालय में 11 गैलरी (अनुभाग) हैं, जिसमें छायाचित्र गैलरी, मानव विज्ञान अनुभाग, पुरातात्विक अनुभाग, वस्त्र अनुभाग, हथियार अनुभाग, संगीत–वाद्ययंत्र अनुभाग, जहाज अनुभाग और कपड़ों व रूई से तैयार पशु अनुभाग सम्मिलित हैं। कच्छ संग्रहालय में विभिन्न चित्रों, सिक्कों, संगीत वाद्ययंत्र, कलात्मक और नक्काशी की हुई मूर्ति, प्राचीन लिपि एवं कलाकृतियां, आदि उपलब्ध हैं। इस संग्रहालय में शिलालेखों का सबसे बड़ा मौजूदा संग्रह है, जो पहली शताब्दी ईस्वी सन् का है। खवड़ा के अंधाउ गांव में पाए जाने वाले सबसे पुराने क्षत्रप छह शिलालेख–पत्थर यहां स्थानांतरित किए गए हैं। तीसरी शताब्दी का एकमात्र गुजराती अभिज्ञान शिलालेख भी यहाँ है। कच्छ संग्रहालय में पिछले 1 शताब्दी ई. के शिलालेख की सबसे बड़ी संग्रह है। इस संग्रहालय में 1948 ई. तक के सिक्कों का संग्रह है। यहां पर कच्छी लिपि के विभिन्न शिलालेख यहां देखे जा सकते हैं। कच्छ के विभिन्न पेंटिंग यहां पर प्रदर्शित हैं। संग्रहालय का एक भाग आदिवासी संस्कृतियों के लिए समर्पित है। संग्रहालय में कढ़ाई,

पेंटिंग, हथियार, संगीत वाद्ययंत्र, मूर्तिकला और कीमती धातु का काम भी है। यह संग्रहालय बुधवार को बंद रहता है। कच्छ संग्रहालय के मुख्य द्वार पर विभिन्न श्रेणियों की टिकट की राशि लिखी गई है जिसमें भारतीय पर्यटकों के लिए 5 रू., विदेशी पर्यटकों के लिए 50 रू, विद्यार्थियों के लिए 2 रू. और कैमरा के साथ जाने पर 100 रू. निर्धारित किया गया है। कच्छ संग्रहालय में सामान्य दिनों में 300 व शैक्षिक भ्रमण, कच्छ महोत्सव व मौसम सुहाना होने की स्थिति में 1000 छात्र/पर्यटक अतिरिक्त आते हैं।

कच्छ संग्रहालय के आस–पास 9 चाय की दुकान व 6 पान की दुकान हैं। इस क्षेत्र में अधिक दुकान होने का कारण यह है कि यहां आनेवाले पर्यटक घूमने व मनोरंजन के लिए आते हैं। इसीलिए इस अवधि में वे चाय, कॉफी, मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया, सिगरेट आदि की पूरी आनंद लेते हैं। अतः लोग घूमने के नाम पर नशा–व्यसन के नाम पर अधिक खर्च करते हैं। शहर के कुछ पर्यटकों ने बताया कि घूमने का अवसर मिलने पर व बाहर जाने पर वे नई किस्म के नशा कर लेते हैं या पूर्व के प्रयोग किए गए नशा की मात्रा बढा देते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पर्यटक बीरी नहीं के बराबर पीते हैं। जबकि, चाय, सिगरेट, गुटखा, मावा, आदि की विक्री अधिक होती है। ये दुकान मुख्य सड़क में अवस्थित होने के कारण अधिक लोग चाय, गुटखा, पान, तंबाकू, आदि खरीदते हैं। जबकि इस क्षेत्र में शराब के क्रय–विक्रय की बात किसी ने स्वीकार नहीं किया। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि पहले 2018 ई. तक कुछ स्थलों में ई सिगरेट मिलते थे लेकिन अब कच्छ संग्रहालय के आस–पास नहीं मिलता है।

शहर के इस क्षेत्र के स्थानीय दुकानदार (स्वामी नारायण मंदिर व कच्छ संग्रहालय के संयुक्त परिणाम) ने बताया कि चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया व सिगरेट सबसे अधिक बिकते हैं। यहां पर अवस्थित चाय की दुकान में चाय, कॉफी, गुटखा, आदि मिल जाते हैं जबकि पान दुकान में मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया, सिगरेट, बीरी, आदि मिलते हैं। भुज एयरपोर्ट व कुछ आधुनिक सुविधायुक्त होटलों में ई सिगरेट मिल जाते हैं। शराब की व्यवस्था होटल के वेटर व अन्य स्टाफ व्यवस्था कर देते हैं। कुछ पर्यटक अपने साथ शराब ले आते हैं। स्थानीय दुकानदार लगभग प्रति दुकान 400–650 कप चाय व 25–30 कप कॉफी बेचते हैं। स्थानीय दुकानदार 5–10 पैकेट बीरी, 120–150 जर्दा/तंबाकू/पत्ति वाली पान, 200–250 पुरिया मावा, 100–150 पुरिया गुटखा, 80–100 तंबाकू पुरिया व 80–120 पैकेट सिगरेट बेचते हैं। ये भाषा के आधार पर स्थानीय व बाहरी ग्राहक में भेद करते हैं। पर्यटक अपने अनुसार चाय, कॉफी, सिगरेट, आदि की मांग करते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि किसी पर्यटक/ग्राहक द्वारा अभी तक आयुर्वेदिक चाय, ग्रीन टी व हर्बल टी नहीं मांगा गया। इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भी दुकान में सामान्य चाय पत्ति के अलावा आयुर्वेदिक चाय, ग्रीन टी व हर्बल टी नहीं मिलते हैं। जबकि कुछ पर्यटक/ग्राहक दुकानदार से कॉफी की मांग करते हैं इसीलिए कुछ मात्रा में कॉफी की पत्ति पहले से ही रखते हैं। पर्यटक को कॉफी या ब्रांडेड सामान देने पर अधिक मूल्य लेते हैं जबकि नियमित ग्राहक हमेशा प्रयोग करनेवाले सामान्य सामान लेते हैं तो स्थानीय ग्राहक को कुछ सस्ता मिल जाता है। यहां पर शराब, पान/गुटखा मशाला व ई सिगरेट का भी प्रचलन है जो कि मुश्किल से मिलता है। कुछ होटल वाले मंहगे दामों पर इन्हें शराब उपलब्ध कराते हैं जो कि 500 रू. लगभग जाता है। वैसे इसके ग्राहक कम ही हैं और कुछ होटल वाले ने सफ्ताह में 1–2 ऐसे ग्राहक की पुष्टि किए। कुछ ग्राहक यात्रा के दौरान ट्रेन के ए. सी. कोच के दौरान एटेंडेंट से खरीदने की पुष्टि किए। कुछ पर्यटकों का मानना है कि जब वे अकेले भुज आते हैं तो ही शराब, आदि पीते हैं। दमन, दीव, मुंबई, आदि गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र हैं व पीनेवाले पर्यटक यहां दिल खोलकर पीते हैं। जबकि भुज सहित पूरे गुजरात में चोरी–छिपे पीते हैं। कुछ होटल कर्मचारी ने बताया कि बाहर के पर्यटक ई सिगरेट व शराब की मांग करते हैं व मनचाही रूपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन, अब सरकार की तरफ से ई सिगरेट प्रतिबंध होने के कारण उपलब्ध नहीं कराते हैं। फिर भी कुछ पर्यटक चोरी–छिपे शराब ले लेते हैं। पर्यटक धार्मिक कार्यक्रम में जाने पर नशा से दूर रहते हैं। भुज के कुछ होटल (ए.सी. कमरे/स्टार होटल/लगभग 1000 रू. के कमरे के किराए) में सुवह के नाश्ता के साथ चाय होटल के किराए में शामिल होते हैं व इसके लिए पर्यटक को अलग से भुगतान नहीं करना पड़ता है। भुज शहर के कुछ साधारण व सामान्य होटल (500 रू. तक के कमरे) में चाय की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन, इन होटलों की कैंटीन या निकट के चाय दुकान से 15–20 रू. प्रति कप चाय उपलब्ध कराया जाता है। भुज शहर के प्रत्येक होटल के कमरे में सिगरेट की जली राख रखने के लिए स्टील की बनी छोटी बर्तन दी जाती है ताकि सिगरेट पीने के उपरांत उसकी राख उसमें रख सकें। जबकि धर्मशाला, गुजराज सरकार/पर्यटन विभाग की अतिथि–गृह व स्वामीनारायण मंदिर के धर्मशाला में सिगरेट पीने के लिए प्रितिबंध/धुम्रपान निषेध लिखे मिले। इन स्थानों के कमरों में सिगरेट के जले राख रखने के लिए बर्तन नहीं होते हैं।

अतः शहरी क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीरी, जर्दा/तंबाकू/पत्ति वाली पान, कॉफी, शराब व ई सिगरेट का प्रचलन है। शहर में नशा–व्यसन की कई प्रकार मिलते हैं। मावा गुजरात की प्रमुख नशा है जिसमें सुपारी, चुना पानी व तंबाकू पत्ति के मिश्रण से बनता है। इसमें स्वाद व सहनशीलता के अनुसार चुना पानी मिलाते हैं। अधिक चूना खाने पर या पहली बार खाने पर मुंह में छाले या ओष्ठ व जीभ कट जाते हैं। मावा की एक प्रति खरीदने पर 3–4 लोग एक बार में बांट कर खाते हैं या नहीं तो प्रति व्यक्ति 3–4 बार प्रयोग में लेते हैं। इसे खाने के बाद लोग 3–4 बार थूकते हैं। इसकी विक्री भुज सहित पूरे गुजरात व इसके निकटवर्ती क्षेत्र, दमन, दीव, दादरा–नगर हवेली, महाराष्ट्र, आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में होते हैं। धार्मिक सुदृढीकरण विशेशकर स्वामी नारायण के अनुयायियों में दिखता है जिसका परिणाम यह है कि कुछ पर्यटक धार्मिक कार्य को अत्यधिक महत्ता देने के कारण नशा नहीं करते हैं।

कोटेश्वर मंदिर

कच्छ में कोटेश्वर मंदिर अरब सागर के किनारे है। यहाँ से समुद्र में पड़ोशी राष्ट्र पाकिस्तान की सीमा का प्रारंभ हो जाता है। इस स्थान से रात्रि में कराची (पाकिस्तान) के प्रकाश की चमक

स्पष्ट रूप से देखी जाती है। रामायण और शिवपुराण में इस स्थल का उल्लेख है। इस जगह का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थानीय कहानी के अनुसार, लिंग के बिंदु में कुछ लोहे की कीलें लगी हुई थीं। महाप्रभु वल्लभाचार्य इस स्थल पर 16वीं शताब्दी में आये थे। वर्तमान कोटेश्वर मन्दिर के एक शिलालेख के अनुसार ये मन्दिर का निर्माण लगभग 171 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1877 ई. में हुआ। अतः इसे प्राचीन मंदिर होने के प्रामाणिक पुष्टि हो चुके हैं। यहां कोटेश्वर नामक शिवमन्दिर है। कोटेश्वर शिव को हिंगलाज माता का भैरव कहा जाता है जो हिंगलाज में निवास करते हैं। भक्तों को हिंगलाज माता के दर्शन करने के बाद कोटेश्वर जाने की सलाह दी जाती है। कोटेश्वर की कहानी रावण से शुरू होती है। कहा जाता है कि रावण ने घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। इसमें वरदान स्वरूप उसे शंकर जी का लिंग अपने साथ लंका ले जाने का वरदान मिला। इसके साथ ही शिवजी ने यह शर्त रख दी कि इस लिंग को कहीं भी जमीन पर मत रखना, यदि रखोगे, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं करनी होगी। इसके बाद रावण शिवलिंग लेकर लंका की तरफ निकल पड़ा। उधर रास्ते में नारायण सरोवर के पास ब्रह्माजी ने गड्ढे में फंसी हुई गाय का स्वरूप ले लिया। इससे गाय को बचाने के लिए रावण ने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखते ही उस शिवलिंग के एक करोड़ लिंग बन गए। अब रावण की दुविधा यह थी कि वह जिस लिंग को लाया था, वह कौन–सा था? इसलिए उसने शिवलिंग को वहीं प्रतिष्ठापित कर दिया। आज उसी शिवलिंग को कोटेश्वर महादेव के रूप में पहचाना जाता है। कोटि शब्द का भी अर्थ 1000 होता है व यहाँ 1000 शिवलिंग होने के कारण इस स्थल का नाम कोटेश्वर पड़ा। आज भी यहाँ अनेक शिवलिंग विद्यमान हैं और कालांतर के साथ कुछ नष्ट हो गये हैं। समुद्र में भी टूटे हुए शिवलिंग और मन्दिर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। कहानी का एक और संस्करण कहता है, जब भगवान शिव रावण की पूजा और तर्पण से प्रसन्न थे, तो उन्होंने उसे लिंग–धार्मिक शक्ति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप, शिव ने रावण से लिंग प्राप्त करने की साजिश रची। सभी देवता शिव के एक साथ एकजुट हो गए और बेईमानी के माध्यम और इस लिंग को कोटिलेंगेश्वर के रूप में स्थापित किया गया।

भुज से यह लगभग 157 किमी. दूर है। सरकारी बसें दिन में एक बार लगभग 11 बजे दिन में कोटेश्वर जाती है व यही बस 4 बजे दिन में भुज के लिए वापस होती है। वैसे निजी वाहन व किराए के वाहन से यहां पहुंचा जा सकता है। यहां गुजरात पर्यटन विभाग की ओर से अतिथि गृह बने हैं जो कि लगभग 10 कमरों का है। यहां खाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। दिन में चाय, नाश्ता, गुटखा, तंबाकू, पाप कार्न, पूजन सामग्री, पानी पुरी, मूंगफली, नारियल, फूल, प्रसाद, आदि मिल जाते हैं। इस स्थल में व इसके आसपास कोई नहीं रहते हैं। केवल 5 लोग यहां निवास करते हैं (भारत की जनगणना, 2011) जो कि मूल रूप से यहां के पुजारी मंदिर में स्थापित शिव की पूजा के लिए रहते हैं। यहां के दुकानदार शाम होते–होते अपने घर निकल जाते हैं। भारत–पाकिस्तान सीमा होने के कारण बी.एस.एफ. का पहरा चौबीस घंटे का रहता है व कोटेश्वर मंदिर से आगे समुद्र की तरफ जाने पर प्रतिबंध है। कोटेश्वर में पर्यटक रात्रि में नहीं रूकते हैं। कोटेश्वर में चाय की मात्र 2 दुकान है व यहीं चाय, मावा, गुटखा, पुरिया वाली तंबाकू, सिगरेट, आदि मिलते हैं। इस क्षेत्र में कम दुकान होने का कारण यह है कि यह स्थान क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से छोटा है। यदि पर्यटक अपनी गाड़ी न लायें तो इनके रहने की समस्या खड़ी हो जाती है। सामान्य दिनों में कोटेश्वर में मुश्किल से 150 लोग आते हैं व ये यहां 1–2 घंटे रहते हैं। अतः व्यक्ति यहां सीमित समय के लिए व सीमित नशा–व्यसन करता है। इस स्थान पर चाय, सिगरेट, गुटखा, मावा, आदि की विक्री अधिक होती है। जबकि इस क्षेत्र में शराब के क्रय–विक्रय की बात किसी ने स्वीकार नहीं किया। पान की विक्री इस गांव में नहीं होती है। इस क्षेत्र के दुकानदारों ने ई सिरगेट आज तक नहीं देखा। यहां शराब भी नहीं मिलते हैं। सामान्यतः स्वामी नारायण संप्रदाय की तरह नशा न करने के लिए ये बाध्य नहीं होते हैं व ये यहां पर उपलब्ध नशा सामग्री का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां आनेवाले पर्यटक नशा करते हैं।

नारायण सरोवर

नारायण सरोवर पवित्र सरोवरों में से एक है। नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान है। प्राचीन कोटेश्वर मन्दिर यहाँ से 3 किमी की दूरी पर है। कच्छ के महाराजाओं देशल जी तृतिय की रानीने इन मन्दिरों का निर्माण करवाया था। श्रीमद्भागवत में वर्णित पाँच पवित्र सरोवरों में से यह एक है। नारायण सरोवर, हिंदुओं की सबसे पवित्र झीलों में से एक है, जो भगवान विष्णु के एक अवतार थे। भुज से यह 100 किमी दूर है। झील पंच–सरोवर/पांच झीलों (अर्थात मानसरोवर, बिंदू सरोवर, नारायण सरोवर, पम्पा सरोवर और पुष्कर सरोवर) का एक समूह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, झील का निर्माण तब हुआ था, जब भगवान विष्णु का पैर एक विशेष स्थान पर जमीन से छू गया था और वहां से निकले पानी ने पवित्र स्थान का रूप लिया। महाराज देशलजी के कुंड से निर्मित श्री त्रिकमरायजी, लक्ष्मीनारायण, गोवर्धननाथजी, द्वारकानाथ, आदिनारायण, रणछोड़रायजी और लक्ष्मीजी जैसे कई मंदिरों ने झील को घेर लिया है। 'नारायण सरोवर' का अर्थ है –'विष्णु का सरोवर'। यहां सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। यह सनातन–धर्मियों के पांच पवित्र सरोवरों में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र सरोवरों में डुबकी लगाते हैं। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से तीन दिन का भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवधि में उत्तर भारत के सभी सम्प्रदायों के साधु–संन्यासी और भक्त आते हैं। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। इस पवित्र सरोवर में अनेक प्राचीन सन्त–महात्माओं के आने के प्रसंग मिलते हैं। आदि शंकराचार्य भी यहां आए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक 'सीयूकी' में की है। नारायण सरोवर पहुंचने के लिए भुज से एक सरकारी बस जाती है जो कि कोटेश्वर जानेवाली सरकारी बस इस रास्ते से होकर गुजरती है। यहां से भुज पहुंचने के अनेक साधन हैं। पर्यटक अपनी निजी वाहन से यहां कभी भी आ सकते हैं व यहां रात्रि विराम कर सकते हैं। पहले नारायण सरोवर में ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था

नहीं थी। इस कारण से पहले श्रद्धालुओं को कठिनाई होती थी। किन्तु अब स्वयंसेवी संगठनों ने यहां ठहरने और खाने–पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी है। आवागमन भी अब सुगम हो गया है। यहाँ यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है। वर्तमान में मुख्य सड़क के किनारे भोजनालय अवस्थित है। जबकि यहां पूजन सामग्री, नाश्ता, चाय, आदि की कई दुकान हैं। नारायण सरोवर की कुल आबादी 1145 (भारत की जनगणना, 2011) है व यहीं के अधिकांशतः निवासी यहां पर दुकान खोले हैं व पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। सामान्य दिनों में नारायण सरोवर में मुश्किल से 200 लोग आते हैं जबकि पितरों के पिण्डदान व अन्य धार्मिक अवसर पर 1000 लोग तक आते हैं।

नारायण सरोवर मुख्य मार्ग व इसके आस–पास 7 चाय की दुकान व 4 पान की दुकान हैं। इन स्थानों के पान की दुकान में पान नहीं मिलकर मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया व सिगरेट आदि मिलते हैं। इस अवधि में पर्यटक चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया व सिगरेट आदि की पूरी आनंद लेते हैं। जबकि इस क्षेत्र में किसी दुकानदार ने शराब, ई सिगरेट व पान के क्रय–विक्रय को किसी ने स्वीकार नहीं किया। धार्मिक कार्य को छोड़कर केवल घूमने के लिए आनेवाले पर्यटक यहां नशा–व्यसन करते हैं। जबकि कुछ पर्यटक धार्मिक कार्य पूरा करने के उपरांत नशा–व्यसन करते हैं।

गांव के स्थानीय दुकानदार (कोटेश्वर और नारायण सरोवर के संयुक्त परिणाम) ने बताया कि चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू पुरिया, सिगरेट, आदि सबसे अधिक बिकते हैं। गांवों के होटलों/अतिथि गृह में ई सिगरेट, शराब, आदि नहीं मिलते हैं। इस क्षेत्र के प्रति दुकानदार लगभग 80–100 चाय, 1–2 पैकेट बीरी, 15–25 पुरिया मावा, 10–20 पुरिया गुटखा, 5–10 तंबाकू पुरिया व 5–10 पैकेट सिगरेट बेचते हैं। पर्यटक दुकान में उपलब्ध सीमित सामग्री में नशा सामग्री चुनते हैं। स्थानीय धर्मशाला व सरकारी अतिथि–गृह में सिगरेट पीने के लिए प्रतिबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू व सिगरेट का प्रचलन है। यहां नशा–व्यसन के सीमित प्रकार उपलब्ध हैं व पर्यटक को भी उन्हीं सीमित नशा में से ही किसी का चुनाव करना होता है। जबकि सामान्य पर्यटक स्थल पर उदार होकर जाते हैं व वहां की उपलब्ध नशा को स्वीकार कर लेते हैं।

कच्छ के ग्रामीण व शहरी पर्यटन क्षेत्र में 8 रू. में कट चाय व 15 रू. में फुल कप–प्लेट चाय, 10 रू. में कॉफी, 5 रू. में कंपनी की सील तंबाकू, 15 रू.–20 रू. में जर्दा/तंबाकू/पत्ति वाली पान, 5 रू.–18 रू. प्रति सिगरेट, 5 रू.–12 रू. प्रति गुटखा, 10 रू. प्रति मावा व 1 रू. प्रति बीरी मिल जाते हैं। मूल्यों को लेकर शहर व गांवों में विशेश अंतर नहीं है जिसका कारण यह है कि शहरी व ग्रामीण दुकानदार अंकित मूल्य पर बेचते हैं।

निष्कर्ष

शहरी क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीरी, जर्दा/तंबाकू/पत्ति वाली पान, कॉफी, शराब व ई सिगरेट का प्रचलन है। शहर में नशा–व्यसन की कई प्रकार मिलते हैं। शहर में नशा–व्यसन सामग्री होटल में भी उपलब्ध कराया जाता है। शहर में पर्यटक अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शहर में होटल संचालक भी इनके लिए नशा सामग्री उपलब्ध कराते हैं जबकि गांवों में ये सुविधा पर्यटक को नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थल में चाय, मावा, गुटखा, तंबाकू व सिगरेट का प्रचलन है। गांव में नशा–व्यसन के सीमित प्रकार उपलब्ध हैं व पर्यटक को भी उन्हीं सीमित नशा में ही चुनाव करना होता है। जबकि सामान्य पर्यटक स्थल पर उदार होकर जाते हैं व वहां की उपलब्ध नशा को स्वीकार कर लेते हैं। धार्मिक रूप से व्यक्ति (पर्यटक) किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण करने के उद्येश्य से जाता है तो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है। जबकि वही व्यक्ति (पर्यटक) यदि उस स्थान विशेश पर गैर–धार्मिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य या अकेले जाता है तो स्थानीय नशा का प्रयोग कर आनंद पाता है।

REFERENCES

आनंद, विनती (2003) *मनोविकृत विज्ञान.* दिल्ली : मोती लाल बनारसी दास (पृ.241–264)

गौतम, रश्मि कुमारी (2013अ) कच्छ टूरिज्म : चेजिंग स्टेंडडर्स. *जर्नल ऑफ मल्टी–डिसीप्लीनरी, 6* (1, 6/मई–जून), 1–3

गौतम, रश्मि कुमारी (2013ब) टूरिज्म इंडस्ट्री इन कच्छ. *जर्नल ऑफ मल्टी–डिसीप्लीनरी, 6* (2, 7/जुलाई–दिसंबर), 1–2

जाटावत, अनिल कुमार एवं लवानिया, विनिता (2018) पर्यटन तथा बदलती सामाजिक जीवन शैली : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (पुष्कर के विशेश संदर्भ में). *शोध मंथन, 9* (2), 127–133

झा, आरसी प्रसाद (2019) जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की संभावना एवं समस्या : नागारची पीर दरगाह के विशेश संदर्भ में. *एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लीनरी स्टडीज, 7* (12), 41–46

पाण्डेय, सूर्यनारायण (2019) ई सिगरेट : नशे की नई महामारी. *प्रतियोगिता दर्पण (दिसंबर–2019). 496/42* (5), 85–86

भारत की जनगणना (2011) *डिस्ट्रिक्ट सेंसस हेंडबुक–कच्छ जिला.* अहमदाबाद : भारतीय जनगणना निदेशालय

मरियम वेबस्टर्स (1974) *मरियम वेबस्टर्स कॉलेजिएट डिक्शनरी.* मिशिगन विश्वविद्यालय : जी. एंड सी. मरियम कंपनी

शिवाणी, नेहा (2013) ह्यूमन रिसोर्स इन टूरिज्म इन्डस्ट्री इन इंडिया : इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. *जर्नल ऑफ सोशल साइंस, 2* (1, 7, जुलाई–अगस्त), 1–12